मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं0 240*

22 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

शहरीकरण कार्यक्रम

***240. श्री अनिल फिरोजिया:**

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृ□ा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आर्थिक और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा नियोजित शहरीकरण कार्यक्रम शुरू किया है/कार्यान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के संबंध में शहरों द्वारा निभाई जा रही भूमिकाएं क्या हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य मंत्री

(श्री हरदी□ सिंह □री)

(क) से (ग): विवरण सभा □टल □र रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

'शहरीकरण कार्यक्रम' के संबंध में 22 दिसंबर, 2022 के लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या *240 के उत्तर में भाग (क) से (ग) में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): शहरी नियोजन राज्य का विषय है। संविधान की 12 वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है, जो राज्य सरकार द्वारा कार्यों के हस्तांतरण के अधीन है। भारत सरकार की इस मामले में केवल सलाहकार की भूमिका है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय देश में शहरी विकास के लिए योजनाबद्ध और कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

सतत नियोजित शहरी विकास में राज्य और शहरों को समर्थन देने हेतु आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने निम्नलिखित □हलें की हैं:

i. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न राष्ट्रीय मिशनों के माध्यम से योजनाबद्ध सहायता प्रदान की।

क. अटल नवीकरण और शहरी □रिवर्तन मिशन (अमृत) के तहत 500 शहरों (विलय के बाद 485) के लिए 1,00,000 करोड़ रू□ये के कुल □रिव्यय के साथ शहरों में □ानी, सीवरेज, वर्षा जल निकासी, शहरी □रिवहन और □ार्कों संबंधी मुद्दों का समाधान किया गया। 82,223 करोड़ रु□ये की 5,873 □रियोजनाओं की शुरुआत की गई है।

ख. अमृत 2.0 योजना 2,77,000 करोड़ रु□ये के कुल □रिव्यय के साथ सभी सांविधिक कस्बों में □ानी की आ□ूर्ति की सम्□ूर्ण कवरेज और अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सम्□ूर्ण कवरेज □र ध्यान केंद्रित करती है। अब तक, 93,381 करोड़ रु□ये की 4,830 □रियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

ग. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए स्वच्छता, नगर□ालिका ठोस अ□शिष्ट (एमएस□ब्ल्यू) और प्रयुक्त जल प्रबंधन (यू□ब्ल्यूएम) के लिए बुनियादी अवसंरचना प्रदान करता है। मिशन के तहत दिनांक 30.11.2022 तक 62.79 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 6.27 लाख सामुदायिक शौचालय/सार्वजनिक शौचालय (सीटी/□ीटी) सीटों का निर्माण किया गया है। शहरी भारत में एमएस□ब्ल्यू के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए अ□शिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र स्था□ित किए गए हैं। 91,041 वा□ों में से 88,150 (96.82%) में घर-घर जा कर कचरा संग्रहण, 80,385 वा□ों (88.29%) में कचरे का स्रोत से □ृथक्करण और कुल कचरे के 74% (1,51,745 टन प्रतिदिन) का वैज्ञानिक अ□शिष्ट प्रसंस्करण किया गया है।

घ. स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) 1,41,678 करोड़ रु□ये के कुल □रिव्यय के साथ 'कचरा मुक्त शहरों' के लिए काम कर रहा है।

ङ. प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (□ीएमएवाई-यू) आवास की आवश्यकता को □ूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता प्रदान कर रहा है। केंद्रीय सहायता के रू□ में 2,03,427 करोड़ रु□ये की राशि स्वीकृत की गई है जिनमें से 1,27,584 करोड़ रु□ये जारी किए जा चुके हैं।

च. स्मार्ट सिटीज मिशन का उद्देश्य उन शहरों को बढ़ावा देना है जो बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते हैं और एक अच्छा गुणवत्ता□ूर्ण जीवन की प्रदान करते हैं। 100 स्मार्ट शहरों ने 2,05,018 करोड़ रु□ये की कुल 5,151 □रियोजनाओं को निष्□ादित करने का प्रस्ताव दिया है। 89,130 करोड़ रु□ये की 2,794 □रियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 92,220 करोड़ रु□ये की 4,932 □रियोजनाएं □हले ही □ूरी हो चुकी हैं।

छ. शहरी गरीब □रिवारों की गरीबी और दुर्बलता को स्थायी आधार □र कम करने के लिए, "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (□ीएवाई-एनयूएलएम)" सभी सांविधिक कस्बों में काम कर रहा है। मिशन के तहत, 13 लाख से अधिक शहरी गरीबों को उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से 6.78 लाख से अधिक कौशल प्रशिक्षितों को स्व रोजगार और/अथवा मजदूरी रोजगार दिलाया गया है।

ज. मेट्रो और अन्य □रियोजनाओं सहित शहरी गतिशीलता में सुधार के लिए शहरी □रिवहन विकास कार्य को नीतिगत उ□ायों और निधि सहायता के माध्यम से मंत्रालय द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इस समय देश में लगभग 824 किलोमीटर मेट्रो रेल लाइन चालू है और 1,010 किलोमीटर मेट्रो लाइन निर्माणाधीन है।

ii. अमृत के तहत, 'जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान का निर्माण' 515 करोड़ रु□ये के कुल □रिव्यय के साथ 100% केंद्रीय वित्त □ोषित उ□-योजना है। 461 शहर (प्रत्येक 1 लाख से ऊ□र की जनसंख्या वाले) इस उ□-योजना को लागू कर रहे हैं। मंत्रालय मास्टर प्लान तैयार करने के लिए शहरों को प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण संबंधी सहायता प्रदान कर रहा है। 152 शहरों ने अंतिम रू□ से तैयार जीआईएस-आधारित मास्टर प्लानों को मंजूरी दे दी है और 132 शहरों ने मसौदा प्लान तैयार किए हैं। 396 शहरों के लिए जीआईएस □ेटाबेस को अंतिम रू□ दे दिया गया है और अन्य 53 शहरों के लिए यह मसौदा चरण में है। 73 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 2,606 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। अमृत 2.0 के तहत, 631 करोड़ रु□ये के कुल □रिव्यय के साथ 50,000 - 99,999 की जनसंख्या वाले वर्ग-2 शहरों के जीआईएस-आधारित मास्टर प्लान तैयार करने संबंधी एक उ□-योजना को मंजूरी दी गई है। 675 शहर इस उ□-योजना के □ात्र हैं।

iii. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25 शहरों में प्रायोगिक आधार □र लोकल एरिया प्लान (एलए□ी) और टाउन प्लानिंग स्कीमें (टी□ीएस) तैयार करने और स्थानीय क्षमता

निर्माण हेतु सहायता प्रदान कर रहा है। अब तक, 8 शहरों ने एलएपी और टीपीएस दोनों का मसौदा तैयार किया है, 3 शहरों ने एलएपी का मसौदा तैयार किया है और अन्य 3 शहरों ने टीपीएस का मसौदा तैयार किया है। कुल 11 मसौदा टीपीएस और 11 मसौदा एलएपी तैयार किए गए हैं।

जीआईएस आधारित मास्टर प्लान और एलएपी और टीपीएस नियोजित विकास, बेहतर शहरी भूमि उपयोग में कार्य कुशलता और शहरों के पर्यावरण की दृष्टि से सुस्थिर आर्थिक विकास के सुस्थिर शहरी विकास को सक्षम बनाते हैं।

iv. भारत सरकार 6,000 करोड़ रुपये के प्रोत्साहन के साथ 'वर्ष 2022-23 के लिए पूंजी निवेश हेतु राज्यों को विशेष सहायता योजना' के माध्यम से शहरी नियोजन सुधारों को प्रोत्साहित कर रही है।

क. मौजूदा उपनियमों में विरोधाभासों को दूर करने के लिए, शहरी भूमि उपयोग में कार्य कुशलता को अधिकतम करने के लिए और किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए, योजना में एक सुधार भवन उपनियमों का आधुनिकीकरण है।

ख. ट्रांजिट कॉरिडोर के साथ में सघनता बढ़ाने के लिए इस योजना के माध्यम से ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी को लागू करने को बढ़ावा दिया जाता है।

ग. मौजूदा स्थिति का आकलन करने और कायाकल्प के लिए योजना तैयार करने के लिए जलाशयों का सर्वेक्षण करने हेतु शहरों को प्रोत्साहित करके स्पंज शहरों को बढ़ावा दिया जाता है। स्पंज शहरों में – संग्रहण, भंडारण, शोधन और बचत दृष्टिकोण के माध्यम से उच्चतर वर्षा जल धारण क्षमता अधिक होती है और यह बाढ़ और सूखे के विरुद्ध इन्हें सुदृढ़ बनाता है और शहरी क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रावधान में मदद करता है।

घ. हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) नीतियों के कार्यान्वयन से स्लम पुनर्वास और जल निकाय संरक्षण परियोजनाओं को लागत प्रभावी तरीके से लागू करने में मदद मिलती है।

ङ. वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए, सार्वजनिक परिवहन पर लागू मोटर वाहन कर को कम करके सार्वजनिक परिवहन को किफायती बनाने के लिए प्रोत्साहन देकर सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा दिया जाता है।

च. एलएपी और टीपीएस योजनाओं के कार्यान्वयन को भी प्रोत्साहित किया जाता है।

v. शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश-2014 और मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल) 2016 पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से नियोजित विकास के लिए शहरों को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

****